दिनांक 16.09.09 को समाहारणालय के सभा कक्ष में 4:00 बजे अपराह्न में श्री के0 श्रीनिवासन, उपायुक्त सह अध्यक्ष ''आत्मा'', चतरा की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय की बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 16.09.09 को चार बजे अपराह्न में समाहारणालय के सभा कक्ष में ''**आत्मा शासकीय निकाय**'' की बैठक की गयी, जिसमें निम्नांकित पदाधिकारीगण एवं माननीय सदस्यों ने भाग लिया बैठक की कार्यवाही निम्न प्रकार है–

उपस्थिति– यथा पंजी में संधारित।

सर्वप्रथम परियोजना निदेशक आत्मा, चतरा के द्वारा दिनांक 16.09.09 की बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा से परिचय कराया गया। उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा चतरा के द्वारा सदस्य गणों के परिचय के उपरांत आगे की कार्यवाही शुरू करने का निदेश दिया गया।

1) **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** – जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा चतरा के द्वारा बताया गया कि यह योजना वर्ष (2008–09) की है। इस योजना में माइक्रोलिफ्ट निर्माण, मिट्टी जाँच कार्य, वर्मी कम्पोस्ट, पावर टीलर, पॉली हाउस एवं क्षमता संवर्द्धन अन्तर्गत प्रशिक्षण का कार्य कराना है। अवयववार विवरणी निम्न प्रकार है–

क) माइक्रोलिफ्ट – जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा चतरा के द्वारा बताया गया कि जिले के सभी प्रखण्डों में सिंचाई की उन्नत व्यवस्था हेतु कृषको को माइक्रोलिफ्ट उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत् सरकार के द्वारा 75 प्रतिशत की अनुदान राशि है एवं शेष 25 प्रतिशत व्यय कृषक समूह को स्वयं वहन करना है। ज्ञातव्य हो कि् ़ अन्य क्षेत्रीय उपयोजना (O.S.P) अन्तर्गत 59 एवं विशेष अंगीभूत उपयोजना (S.C.S.P) अन्तर्गत 79 **कुल** 138 माइक्रोलिफ्ट का निर्माण किया जाना है। इस संदर्भ में सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से अनुशंसित सूची को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कृषक प्रतिनिधि श्री गोविन्द सिंह, उपाध्यक्ष, कृषि उत्पादन बाजार समिति, चतरा ने बैठक में प्रस्तुत सूची के बारे में आपत्ति व्यक्त की जिस पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सूची कृषक प्रतिनिधि को तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाय एवं कृषक प्रतिनिधि को जिस समूह के प्रति आपत्ति है उसकी विस्तृत जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी

सह परियोजना निदेशक आत्मा, चतरा को लिखित रूप में पाँच दिनों के अंदर दें जिसकी प्रति उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा चतरा को भी दी जाय अन्यथा सूची में अंकित नाम को अनुशंसित समझा जायेगा।

अनुपालन – (जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा चतरा / कृषक प्रतिनिधि)।

2) <u>मिट्टी जाँच</u> – कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, चतरा के द्वारा यह बताया गया कि जिले के प्रत्येक ग्रामो (1473) से 03 (तीन) नमूना उंची, मध्यम एवं नीची जमीन से लिया जायेगा जिसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जांच हेतु भेजा जायेगा। कार्यक्रम समन्वयक कृ0वि0के0 चतरा के द्वारा उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा से अनुरोध किया गया कि मिट्टी जांच के उपरांत विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिये राशि उपलब्ध कराई जाय जिसे भविष्य में कृषि से संबंधित कार्य में उपयोग किया जा सके।

अनुपालन – (कार्यक्रम समन्वयक कृ0वि0के0 चतरा)।

3) <u>वर्मी कम्पोस्ट</u> – जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा चतरा के द्वारा यह बताया गया कि वर्मी कम्पोस्ट का प्रखण्डवार लक्ष्य निर्धारित कर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियो को उपलब्ध करा दिया गया है।

उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा चतरा के द्वारा इस संबंध में निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को पत्र निर्गत कर लक्ष्य के विरूद्ध सूची तैयार कर इस पर अविलंब कार्रवाई करें एवं इसकी सूचना माननीय सदस्यों को भी उपलब्ध करायें।

अनुपालन – प्र0वि0पदा0 / प्र0कृ0पदा0 (सभी) चतरा जिला।

4) <u>पावर टीलर</u> – जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा चतरा के द्वारा यह बताया गया कि पावर टीलर का प्रखण्डवार लक्ष्य निर्धारित कर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियो को उपलब्ध करा दिया गया है।

उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा चतरा के द्वारा इस संबंध में निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को पत्र निर्गत कर लक्ष्य के विरूद्ध सूची तैयार कर इस पर अविलंब कार्रवाई करें।

अनुपालन – प्र0वि0पदा0 / प्र0कृ0पदा0 (सभी) चतरा जिला।

5) <u>पॉली हाउस</u> – जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा चतरा के द्वारा यह बताया गया कि पॉली हाउस का प्रखण्डवार लक्ष्य निर्धारित कर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियो को उपलब्ध करा दिया गया है।

उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा चतरा के द्वारा इस संबंध में निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को पत्र निर्गत कर लक्ष्य के विरूद्ध सूची तैयार कर इस पर अविलंब कार्रवाई करें।

अनुपालन – प्र0वि0पदा0 / प्र0कृ0पदा0 (सभी) चतरा जिला।

6) <u>क्षमता संवर्द्धन अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम</u> – जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा चतरा के द्वारा यह बताया गया कि जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में एवं मुख्यमंत्री किसाना खुशहाली योजना के संकुल में क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत बीजोपचार सह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक प्रखण्ड में आयोजित किया जा चुका है।

कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र चतरा के द्वारा बताया गया कि कुल 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध अबतक 03 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। शेष की तिथि निर्धारित की जा चुकी है। सभी प्रशिक्षण की सूचना माननीय सदस्यों को देने को कहा गया।

अनुपालन – (कार्यक्रम समन्वयक कृ0वि0के0 चतरा)।

7) <u>'आत्मा' चतरा मे प्राप्त आवंटन वर्ष (2007–08) में व्यय की घटकोत्तर स्वीकृति</u> – जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा चतरा के द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 28.08.08 को शासकीय निकाय की बैठक में लिए गये निर्णय का अनुपालन किया गया जिसमें किये गये व्यय का घटकोत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गयी।

8) <u>वर्ष (2009–10) में आत्मा का प्रस्ताव</u> – जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा चतरा के द्वारा यह बताया गया कि वर्ष (2009–10) का जिला स्तरीय कार्य राज्य स्तर पर अनुमोदित कर दिया गया है लेकिन इस मद में कोई राशि उपलब्ध नहीं है।

उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि राशि उपलब्ध होने पर अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत कार्य अविलंब्ध शुरू किया जाय जिससे कि आने वाले रब्बी मौसम में विलंब नहीं हो।

9) वर्ष (2009–10) में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रस्ताव – उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा चतरा के द्वारा यह निदेश दिया गया कि ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'' अन्तर्गत वर्ष (2009–10) का **प्रस्ताव** जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को पत्र निर्गत कर प्राप्त किया जाय।

अनुपालन – जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा चतरा एवं प्र0वि0पदा0 / प्र0कृ0पदा0 (सभी) चतरा जिला।

10) 'आत्मा' शासकीय निकाय के गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिस्थापन – कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र चतरा के द्वारा बताया गया कि आत्मा के बॉयलॉज के अुनसार आत्मा शासकीय निकाय में गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिस्थापन प्रत्येक दो–दो वर्ष पर किया जाना है जो अभी तक आत्मा चतरा के द्वारा नहीं किया गया है। आत्मा शासकीय निकाय में गैर सरकार सदस्यों का प्रतिस्थापन अनुशंसा के आधार पर नहीं करके प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषक सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य को लिया जाता है जो कि अभी तक आत्मा चतरा के द्वारा प्रखण्ड कृषक सलाहकार समिति का गठन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है।

उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा चतरा के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि 15 दिनो के अंदर सभी प्रखण्ड में प्रखण्ड तकनीकी दल (B.T.T.) एवं कृषक सलाहकार समिति (F.A.C.) का गठन कर अगले आत्मा शासकीय निकाय की बैठक में प्रस्तुत करें जिससे कि उपयुक्त कृषक को आत्मा शासकीय निकाय का सदस्य मनोनित किया जा सके।

अनुपालन – जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा चतरा एवं प्र0कृ0पदा0 (सभी) चतरा जिला।

उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि आत्मा शासकीय निकाय की अगली बैठक दिनांक 01.10.2009 को आत्मा कार्यालय के प्रशिक्षण कक्ष में आयोजित किया जाय एवं भविष्य में नियमित रू॰ से प्रत्येक तीन माह पर इसकी बैठक की जाय।

कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, चतरा के धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा के आदेश के आलोक में बैठक समाप्त किया गया।

परियोजना निदेशक आत्मा चतरा	उपायुक्त चतरा